क्रम-संख्या—272 (क—31)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०—
डब्लू०/एन०पी०—91/2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, रविवार, 20 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 29, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग—1

संख्या 2522/9-1–2020-37 टी0ए0-19

लखनऊ, 20 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0—508

चूँकि, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916), जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नगर पंचायत बरौली, जिला अलीगढ़ का गठन करने हेतु नीचे अनुसूची—1 में उल्लिखित क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की अधिसूचना जारी करने हेतु आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या 2477/9-1—2019-37टी0ए0-19, दिनांक 15 दिसम्बर, 2019 को जारी करके गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और, चूँकि, उक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण शासनादेश संख्या 1567/9-1—2020-37टी0ए0-19, दिनांक 11 नवम्बर, 2020 द्वारा निस्तारण कर दिया गया है;

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243—थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करती हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमायें नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, भारत का संविधान के भाग नौ—क के प्रयोजनार्थ सक्रमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत बरौली, जिला अलीगढ़ के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची–1

नगर पंचायत–बरौली, जिला अलीगढ़ का प्रादेशिक क्षेत्र

ग्राम का नाम	दिशा	गाटा संख्याएं
बरौली	उत्तर	876, 875, 881, 880, 882, 883, 884, 889, 890
	दक्षिण	1510, 1509, 1513, 1500, 1501
	पूरब	852, 860, 829, 872, 853
	पश्चिम	15065, 1506, 1507, 1508, 1503

अनुसूची–2

नगर पंचायत बरौली, जिला अलीगढ़ में सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र

क्रम-संख्या	ग्रामों/राजस्व ग्रामों के नाम	सम्मिलित क्षेत्र
1	बरौली	सम्पूर्ण क्षेत्र
2	राजगढ़ी	सम्पूर्ण क्षेत्र
3	बरौला	सम्पूर्ण क्षेत्र
4	फरीदपुर	सम्पूर्ण क्षेत्र
5	ततारगढ़ी	सम्पूर्ण क्षेत्र
6	लहटोई	सम्पूर्ण क्षेत्र
7	दहेली	सम्पूर्ण क्षेत्र
8	श्यामपुर	सम्पूर्ण क्षेत्र

आज्ञा से,

दीपक कुमार,

प्रमुख सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2522/IX-1–2020-37T.A.-19, dated December 20, 2020:

No. 2522/IX-1–2020-37T.A.-19

Dated Lucknow, December 20, 2020

WHEREAS notification no. 2477/IX-1–2019-37T.A.-19, dated December 15, 2019 was issued and published in the *Gazette* with a *view* to inviting objections and suggestions for issuance of notification for specifying the area mentioned in the Schedule-1 below as the transitional area for constituting Nagar Panchayat Barauli in District Aligarh as required under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916), hereinafter referred to as the said Act;

AND, WHEREAS, objections and suggestions received in pursuance of the said notification were disposed of *vide* Government order no. 1567/9-1–2020-37TA-19, dated November 11 , 2020;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution *read* with section 3 of the said Act, the Governor having regard to the population of the area, the density of population therein the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance, is pleased to specify that the local area the limits

of which is specified in the Schedule below, shall be a transitional area for the purpose of Part IX-A of the Constitution of India and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Barauli in District Aligarh.

SCHEDULE-1

Territorial Area of Nagar Panchayat Barauli, District Aligarh

Name of Village	Direction	Gata no.
Barauli	North	876, 875, 881, 880, 882, 883, 884, 889, 890
	South	1510, 1509, 1513, 1500, 1501
	East	852, 860, 829, 872, 853
	West	15065, 1506, 1507, 1508, 1503

SCHEDULE-2

Area being included in Nagar Panchayat Barauli in District Aligarh

Sr. No.	Name of Villages/Revenue Villages	Included Area
1	Barauli	Total Area
2	Rajgarhi	Total Area
3	Baraula	Total Area
4	Fareedpur	Total Area
5	Tatargarhi	Total Area
6	Lahtoi	Total Area
7	Daheli	Total Area
8	Shyampur	Total Area

By order,

DEEPAK KUMAR,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 601 राजपत्र (हि0)–2021–(1209)–599+50=649 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

601 RPH 2021 (Nagar Vikas-1) Data 4e